COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES 10

(134)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल

III/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/1834

निगरानी कमांक /17

रेवाप्रकाश आयु लगभग-60 वर्ष
आत्मज श्री हरिशंकर जाति ब्राम्हण
निवासी व कृषक ग्राम बीजली तहसील
नसरूल्लागंज जिला सीहोर (म0प्र0) ------- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

सुगनचंद आयु 81 वर्ष
आत्मज श्री स्व. डुंगरिया
नवासी व कृषक ग्राम बीजला
तहसील नसरूल्लांगज जिला सीहोर -------- अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के अपील कमांक-176/अपील/15-16 पक्षकार सुगनचंद विरूद्ध रेवाप्रकाश आदेश दिनांक 4/5/2017 से दुखी होकर निम्न ठोस तथ्य एवं आधार पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है :-

तथ्य

1- यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा कमांक-2/1/1/2, 5/1/2, 2/8, 2/1/2, 2/3/3/1 कुल रकबा 5.969 हेक्टेयर स्थित ग्राम बीजला तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर में है जिसे रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा दिनांक-05.05.1983 को कय किया गया था। राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि निगरानीकर्ता के नाम नामांतरित होकर राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में नाम चला आ रहा है एवं मौके पर काबिज होकर खेती कर रहा है।

2- यह कि अनावेदक की ग्राम बीजला तहसील नसरूल्लाहगंज जिला सीहोर भूमि खसरा कमांक-1/2, 2/1/2/2/1क, 2/1/2/2/1ग रकबा 3.327 हेक्टैयर है जो निगरानीकर्ता की भूमि से काफी दूरी पर है जिस पर आने जाने का रास्ता नहर पर बने रास्ते से अनावेदक एवं अन्य कृषक के द्वारा उपयोग किया जाता है।

3- यह कि अनावेदक ने पूर्व में वर्ष 1983 में रास्ते के संबंध में विवाद उठाया गया था जो निगरानीकर्ता के पूर्व भूमि स्वामी के विरूद्ध उठाया गया था जिसमें निगरानीकर्ता पक्षकार नही था। प्रकरण में आदेश पारित किया गया था जिसमें रास्ता उपलब्ध कराये जाने का आदेश किया गया था।

4- यह कि अनावेदक के द्वारा प्रकरण कमांक-01/अ-13/81-82 में पारित आदेश दिनांक- 30.05.83 के आधार पर अधिनस्थ तहसीलदार

...2..

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

III / निगरानी / सीहोर / भू0रा0 / 2017 / 1834

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-7-2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों के पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा अपने निगरानी मेमो में उठाये गये आधारों पर अपर आयुक्त ने विस्तार से विवेचना कर आदेश पारित किया गया है। अपर आयुक्त ने पूर्व के आदेशों का पालन नहीं करने के कारण कार्यवाही करते हुये रास्ता खोलने का आदेश दिये हैं। वर्ष 1983 को रास्ता खोलने के आदेश के बावजूद पुनः वर्ष 2009 में रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया था जिसपर पुनः रास्ता खोलने का आदेश दिया गया है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि प्रकट नहीं होने से निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	